

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.10.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सरीफ पुत्र सलीम निवासी बुनकर कालोनी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मुन्ना यादव पुत्र राम बड़ाई यादव निवासी बढ़या थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

हत्या के मामले में वांछित चल रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.10.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय अन्डर पास समय करीब 08:15 बजे सुबह मु0अ0सं0 514/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 103(1) बी.एन.एस. में वांछित अभियुक्तगण अमरजीत चौहान पुत्र रामचन्दर बौहान कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ 2, मोलई चौहान पुत्र बसंत चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया व बाल अपचारी राजीव चौहान पुत्र गोलई चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ, बाल अपचारी महेन्द्र चौहान पुत्रस्वः मुसाफिर चौहान) निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

उल्लेखनीय है, कि दिनांक 21.10.2025 को प्रार्थी गोविन्द चौहान पुत्र स्वर्गीय नगेन्द्र चौहान ग्राम कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा पटाखा फोड़ने के बात को लेकर विपक्षीगण द्वारा बादी प्रार्थी गोविन्द चौहान के परिवार के सदस्यों को मारने पीटने तथा अजय चौहान को लाठी डन्डा व फावड़ा से मारने से अस्पताल में मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना पोसी पर मु0अ0सं0 514/2025 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 103(1) बी.एन.एस. बनाम संदीप चौहान पुत्र प्रकाश

चौहान आदि के दिनांक घटना 20.10.2025 समय 19.30 पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण दिनांक 22.10.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त के उक्त अभियुक्तगण फरार चल रहे थे कि आज दिनांक 24.10.2025 को घोसी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्तगण को नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अमरजीत चौहान पुत्र रामचन्दर चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना पोसी जनपद मऊ
2. भोलई चौहान पुत्र बसंत चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ
3. बाल अपचारी राजीव चौहान पुत्र गोलई चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ
4. बाल अपचारी महेन्द्र चौहान पुत्र स्व. मुसाफिर चौहान निवासी कटिहारी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 514/25 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109, 103(1) बी.एन.एस.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
2. निरीक्षक अपराध मोती लाल पटेल थाना घोसी जनपद मऊ।
3. हे0मो० इन्द्रेश यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
4. हे0का0मु० आनन्द प्रकाश सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
5. हे0का0 शोएब आलम थाना घोसी जनपद मऊ।
6. कामु० संजय भीम थाना घोसी जनपद मऊ।